फाइल नं0-71-3099/105/2020-03

112/2023/I/416366/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
हरदोई।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 30 अक्टूबर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0मे0का0ह0/2023-24/1025, दिनॉक 14.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 206.3320 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं विद्युत संयोजन हेतु रू0 5.7622 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति को जोड़ने के पश्चात् संशोधित स्वीकृत लागत रू0 212.0942 करोड़ है। उक्त स्वीकृत लागत रू0 212.0942 करोड़ + जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 192.4772 करोड़ (केन्द्रांश + राज्यांश) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	संख्या-40/2018/903/71-3-2018-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-84/2019/277/71-3-2019-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2019	14.14 (केन्द्रांश)
3	संख्या-13/2020/70/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 17.02.2020	12.50 (राज्यांश)
4	संख्या-62/2020/1011/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 30.09.2020	13.15 (राज्यांश)
5	संख्या-89/2020/1441/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 30.12.2020	20.00 (केन्द्रांश)
6	संख्या-32/2020/1441/71-3-2020-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 24.02.2021	44.00 (के0+रा0)
7	संख्या-96/2021/ई-1762672/71-3-2021-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 12.08.2021	20.85 (केन्द्रांश)
8	संख्या-140/2021/ई-1833745/71-3-2021, दिनॉक 24.11.2021 (विद्युत संयोजन)	5.7622 (राज्यांश)
9	संख्या03-2020/105/3099-71-2022/222852-ई/2022/138-, दिनॉक 10.10.2022	120750 (राज्यांश)
	योग-	**192.4772**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान लागत रू0 212.0942 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में रू0 1,00,00,000 (रू0 एक करोड़ मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रू0 8,01,23,000/- (रू0 आठ करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र), इस प्रकार कुल रू0 9.0123 करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 नौ करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 / 2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं केा दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-40/2018/903/71-3-2018-एन0एम0-07/2018, दिनॉक 14.11.2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050102 मेडिकल कालेज, हरदोई (के060/रा040-के0) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 8,01,23,000 (रुपये आठ करोड़ एक लाख तेईस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058902 मेडिकल कालेज, हरदोई मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-194/दस-2023-24, दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. नियोजन-अनुभाग-4/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3

आज्ञा से,
(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in